शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जून 2014

वेदकालीन समाज में स्त्रियों की दशा

अनीस अब्बास रिज़वी (शोधार्थी)
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ वेद हैं। वेद का तात्विक अर्थ है ज्ञान या जानना। मंत्र दृष्टा ऋषियों में स्त्रियों के मंत्र भी आते हैं। वैदिक युग में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। वह स्वयंवर से अपने जीवन साथी का चुनाव करती थी। उस युग में बाल विवाह की परम्परा नहीं थी। स्त्रियों की निर्णयों में भागीदारी होती थी। प्रस्तुत शोध पत्र में वेदकालीन समाज में स्त्रियों की दशा पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

भारतीय साहित्य में नारी के विभिन्न रूपों का निरूपण प्राप्त होता है। वैदिक युग में नारी का माननीय स्थान रहा है। उस युग में नारी सामाजिक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार के कार्यों में भाग लेने में सक्षम एवं स्वतंत्र थी। नारी-जाति के प्रति संस्कृत साहित्य जगत में विशिष्ट सम्मान रहा है। मनुस्मति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः अर्थात् जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ देवता निवास करते है यह कहकर नारी के सम्मानीय पद की प्रशंसा की गई है।1 वैदिक युग में स्त्री का समाज में उच्च स्थान था। विद्या का आदर्श सरस्वती में, धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का आदर्श दुर्गा में, सौन्दर्य का आदर्श रति में, पवित्रता का आदर्श गंगा में, भगवान का आदर्श जगज्जननी में माना जाता था। परिवार में स्त्री को देवी कहा जाता था। भरतीय समाज में स्त्रियों को प्रारम्भ से ही गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। माता, पत्नी और पुत्री सभी रूपों में स्त्री को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था।2 शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अकेला पुरुष अपूर्ण है और जब वह विवाह करके सन्तान उत्पन्न करता है तभी पूर्ण होता है।3 प्राचीनकालीन 'समाज' में पुरुषों की भाँति स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था और वे ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश कर उच्चतम आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करती थी। अथर्ववेद में कुलवधू को सम्बोधित करके कहा गया है हे कुल वधू तू जिस नवीन घर में जानेवाली है तू वहाँ की साम्राज्ञी है। वहाँ तेरा राज होगा। तेरा श्वसुर, देवर, ननद और सास तुझे साम्राज्ञी समझेंगे।4 वैदिक समाज में स्त्रियों की शिक्षा विवाह आदि पर भी अत्यधिक ध्यान दिया जाता था।

1. वैदिक युग में स्त्री शिक्षा-

वेदकालीन समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। ज्ञान

और शिक्षा के क्षेत्र में वे किसी भी प्रकार पुरुषों से कम नहीं थी। ऋग्वेद में लगभग बीस ऐसी विदुषी स्त्रियों के उल्लेख हैं जिन्होंने अनेकानेक सूक्तों की रचना की थी। इनमें लोपमुद्रा, विश्वधारा, आपाला, घोषा, काक्षीवती, रोमशा, सिकता, इन्द्राणी आदि स्त्रियों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।5 यजुर्वेद के अनुसार कन्या का विवाह ब्रह्मचर्यावस्था समाप्त कर लेने के पश्चात् ही करना चाहिए।6 यजुर्वेद में स्त्री को 'स्तोम पृष्ठा' कहा गया है जिसका अभिप्राय यह है कि वह वेद मन्त्रों के विषय में पूछताछ करती थी।7 प्राचीनकाल में यज्ञों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत महत्व था और व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ही यज्ञ कर सकता था इसलिए स्त्रियों को विशेष रूप से वैदिक साहित्य की शिक्षा प्रदान की जाती थी, ताकि वह धार्मिक क्रियाओं में अपने पति के साथ भाग ले सकें।

बृहदारण्यक उपनिषद् में विदेह राज जनक की राजसभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच वाद-विवाद का वर्णन मिलता है जिसमें गार्गी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा विलक्षण, तर्कशक्ति मेधा और सूक्ष्म विचार तन्तुओं से दुरूह प्रश्नों की बौछार करके याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान् महापुरुष को मूक कर दिया था।8

वैदिक युग में स्त्री का साम्पत्तिक अधिकार

प्राचीन भारत में स्त्री की सामाजिक स्थिति अत्यन्त उन्नत थी। पति और पत्नी दोनों को परिवार की सम्पत्ति का संयुक्त स्वामी समझा जाता था यहाँ तक कि विवाह के अवसर पर पति को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वह अपनी पत्नी के वित्तीय अधिकारों की रक्षा करेगा। तैत्तिरीय संहिता में पत्नी को पारिणाह्य अर्थात् घर की वस्तुओं की स्वामिनी स्वीकार किया गया है।9 शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप में कहा गया है पत्नी पति के दाय की उत्तराधिकारिणी होती है।

3. वैदिक युग में कन्या विवाह-

वैदिक दृष्टिकोण से कन्या का विवाह युवावस्था में होता था। वेदों के अनुसार ब्रह्मचर्य धारण करने के पश्चात् कन्या युवा पति को प्राप्त होती थी।13 अथर्ववेद के अनुसार विवाहोपरान्त वही स्त्री सफल हो सकती है जिसे ब्रह्मचर्य काल में शिक्षित किया गया हो।14 इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में युवा विवाह होता था बाल विवाह नहीं होता था। वैदिक कालीन विवाह स्वयंवर के सिद्धान्त पर आश्रित था। स्वयंवर का अर्थ है स्वयं (अपने-आप) वरण करना। स्वयंवर का अधिकार कन्या को दिया गया था। वर कन्या को माला नहीं पहनाता था कन्या जिसके प्रति अपनी स्वीकृति देती थी उसके गले में वह माला पहनाती थी।

4. वैदिक युग में विधवा विवाह-

वैदिक युग में विधवाओं को पुनः विवाह का अधिकार था। अथर्ववेद के अनुसार "गृहाः सं सृज्यन्ते स्त्रियाः यन्म्रियते पतिः। जब स्त्री का पति मर जाता है तब उसे दूसरा घर बसाना पड़ता है।11 विधवा विवाह करने वाली स्त्री को पुनर्भूः की संज्ञा दी गई है, पुनर्भूः का अर्थ है जिसका दुबारा विवाह हो। इसी दृष्टि से संस्कृत में पति के भाई को देवर कहा है देवर की व्याख्या करते हुए निरूक्तकार ने कहा है-देवरः कस्मात् द्वितीयो वरः भवति" देवर को देवर इसलिए कहते हैं क्योंकि पति के मर जाने के बाद वह दूसरा वर हो सकता है। ऋग्वेद में विधवा शब्द का उल्लेख अनेक बार हुआ है।12 किन्तु इससे उनकी दशा के बारे में कोई

जानकारी प्राप्त नहीं होती परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल में उनकी स्थिति दयनीय नहीं थी। पति की मृत्यु के उपरान्त उनकी सामाजिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता था और वह सम्मानित जीवन व्यतीत करती थी।

5. वैदिक युग में परदा प्रथा-

वैदिक काल में परदा प्रथा के प्रचलन का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता इस काल में स्त्रियाँ पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी और सामाजिक तथा धार्मिक समारोहों एवं उत्सवों तथा सभा एवं गोष्ठियों में बिना किसी प्रतिबन्ध के भाग लेती थी तथा विचारों का आदान प्रदान करती थी। ऋग्वेद में उल्लेख है कि सभी आगन्तुकों से नव विवाहिता वधू को देखने तथा उसे आशीर्वाद देने के लिए कहा गया हे।15 स्वयंवर का प्रचलन भी यह स्पष्ट करता है कि इस समय स्त्रियों पर परदे का कोई बन्धन नहीं था।16 इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि वैदिक काल में परदे का प्रचलन नहीं था किन्तु भारतीय नारी से सुलभ शालीनता और संयमित आचरण की अपेक्षा की जाती थी।

निष्कर्ष

वैदिक कालीन समाज के अवलोकन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि उस समय के समाज में स्त्रियों को अनेक प्रकार के अधिकारों की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी उन्हें शिक्षा, विवाह आदि सभी क्षेत्र में स्वतंत्रता थी तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा दयनीय नहीं थी वैदिक काल का युग नारी समाज का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत करता है।

सन्दर्भ

1. मनुस्मृति/ 3.35
2. गृहणी गृहमुच्यते। ऋग्वेद 3.53.4
3. एतावानेव पुरुषो याज्याऽऽत्मा प्रजातिं ह।
विप्रा प्राहुस्तया चैत्तद्यो भर्ता सा स्मृतां गना। शतपथ ब्राह्मण 5.2.1.10
4. साम्राज्ञी एन्धि श्वशुरेषु सग्राज्ञी उत देबृषु।
ननान्दुः सम्राज्ञी एधि सम्राज्ञी उत श्व श्रवाः।। अथर्ववेद 14.1.44
5. ऋग्वेद/1.126.7
6.उपयाम गृहीतोऽस्यादित्येभ्यस्त्वा।
विष्वऽउरुगायैष सोमस्तं रक्षस्व मां त्वा दभन्।। यजुर्वेद 8.1
7.यजुर्वेद/ 14.4
8. बृहदारण्यक उपनिषद्/ 3.6.8
9. तैत्तिरीय संहिता/ 6.2.11
10. शतपथ ब्राह्मण/ 14.7.3.1
11. अथर्ववेद/ 12.2.36
12. ऋग्वेद/ 4.18.12
13. यजुर्वेद/ 8.1
14. ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्। अथर्ववेद 9.5.18
15. सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्चत्। ऋग्वेद 10.89.33
16. ऐतरेय ब्राह्मण 4.8